न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 25/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 28.9.2018
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

जावेद खान आत्मज बुन्दू खान जाति मुसलमान निवासी 356 संगम रेस्टोरेन्ट की गली गुमानपुरा कोटा–राज0।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, कोटा।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री आलोक त्रिपाठी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 26.4.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) ने अपीलार्थी जावेद खान द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबध मे पारित आदेश कमांक/न्याय/2017/4222 दिनांक 29.6.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एंक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अपने पिता को जारी लाईसेन्स सं0 1774/आउट/कोटा/बीएल/ मे दर्ज 12 बोर दो नाली बन्दूक का उत्तराधिकार अवधारणा के तहत अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश कमांक/न्याय/22017/4222 दिनांक 29.6.2017 से आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 25 अनुसार उत्तराधिकार अवधारणा के तहत लाईसेन्स जारी किये जाने हेतु लाईसेन्सी का लाईसेन्स 25 वर्ष पुराना या लाईसेन्सी की आयु 70 वर्ष होना आवश्यक होने से नियम 25 के तहत अपेक्षित शर्तो की पूर्ति नही किये जाने से शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर आवेदक को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा मे आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील इस आशय की पेश की गई कि अपीलार्थी द्वारा पिता की वृद्धावस्था होने के कारण उनके लाईसेन्स मे दर्ज 12 बोर बन्दूक का लाईसेन्स उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर अपने नाम जारी करवाने हेतु पिता एवं अन्य वारिसान के नो ऑब्जेक्शन के साथ आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवेचित आदेश से निरस्त कर भूल की है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 25 के तहत कमी पूर्ति को भी पूर्ण कर दिया गया था। आवेदक को नियम 25 के सबंध मे कोई जानकारी नही दी गई। आर्म्स एक्ट मे निहित प्रावधानो के तहत उत्तराधिकार के संबध मे अपने पिता के लाईसेन्स के स्थान पर अपीलार्थी लाईसेन्स प्राप्त करने का अधिकारी है किन्तु नियम 25 के प्रावधानो को बताये बिना आवेदन पत्र खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यात्मक भूल की है अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त होने योग्य है। अपीलांट के पिता का लाईसेन्स 25 वर्ष पुराना हो चुका है। अपीलांट के पिता की आयु लगभग 71 वर्ष है अतः उत्तराधिकार नियमो के तहत अपीलार्थी लाईसेन्स प्राप्त करने का अधिकारी है । अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय मे जेरकार नही

संभागीय आयुक्त

है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश दिनांक 29.6.17 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष मे गन लाईसेन्स उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत जारी किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे दिनांक 8.4.2019 को बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी कने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को नियम 25 के सबंध मे कोई जानकारी नही दी गई जबकि अपीलार्थी के पिता का लाईसेन्स वर्ष 1993 को जारी किया गया था जिसे 25 वर्ष हो चुके है तथा अपीलार्थी के पिता की आयु भी वर्तमान मे लगभग 71 वर्ष है। ऐसी स्थिति मे उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर पिता के लाईसेन्स मे दर्ज 12 बोर गन को अपीलार्थी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। बहस मे यह भी प्रकट किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय मे जेरकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का समुचित अवलोकन नही किया तथा ना ही अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा जेरअपील आदेश अपास्त कर अपीलार्थी के पक्ष मे उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर गन लाईसेन्स जारी किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 25 के अनुसार उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत लाईसेन्स जारी किये जाने हेतु आवश्यक है कि लाईसेन्सी का लाईसेन्स 25 वर्ष पुराना हो या लाईसेन्सी की आयु 70 वर्ष हो। दोनो ही स्थितियों मे अपीलार्थी नियम 25 मे अपेक्षित शर्तो की पूर्ति नही करने से अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने पिता को जारी लाईसेन्स सं0 1774 मे दर्ज 12 बोर दो नाली बन्दूक का उत्तराधिकार अवधारणा के तहत अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 9.9.2015 को अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 25 के अनुसार उत्तराधिकार अवधारणा के तहत लाईसेन्स जारी किये जाने हेतु लाईसेन्सी का लाईसेन्स 25 वर्ष पुराना या लाईसेन्सी की आयु 70 वर्ष होना आवश्यक होने तथा दोनो ही स्थितियो मे आवेदक/अपीलार्थी द्वारा नियम 25 मे अपेक्षित शर्तो की पूर्ति नही करने से आर्म्स अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को जेरअपील आदेश कमांक/न्याय/2017/4222 दिनांक 29.6.2017 से निरस्त किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी के पिता को गन का लाईसेन्स 1993 मे जारी किया गया था जिसे 25 वर्ष हो चुके है तथा अपीलार्थी के पिता की आयु भी वर्तमान मे लगभग 71 वर्ष हो चुकी है ऐसी स्थिति मे उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर पिता के लाईसेन्स मे दर्ज 12 बोर गन को अपीलार्थी अपने नाम दर्ज करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर लाईसेन्स चाहने हेतु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन पत्र दिनांक 9.9.15 को प्रस्तुत किया गया। आवेदक के पिता को जारी लाईसेन्स की छाया प्रति के अवलोकन से लाईसेन्स वर्ष 1993 मे जारी होना प्रकट होता है ऐसी स्थिति मे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख 9.9.15 को लगभग उक्त लाईसेन्स लगभग 22 वर्ष पूर्व जारी किया जाना प्रकट है। पत्रावली मे उपलब्ध अपीलार्थी के पिता की वोटर आई डी के अवलोकन से दिनांक 1.1.95 को आयु 45 वर्ष होना अंकित है ऐसी स्थिति मे जेरअपील आदेश पारित करने तक अपीलार्थी के पिता की आयु लगभग 67 वर्ष होना प्रकट होता है। अतः आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 25 के अनुसार उत्तराधिकार अवधारणा के तहत लाईसेन्स जारी किये जाने हेतु लाईसेन्सी का लाईसेन्स 25 वर्ष पुराना या लाईसेन्सी की आयु 70 वर्ष होना आवश्यक होने तथा दोनो ही स्थितियो मे तत्समय आवेदक द्वारा नियम 25 मे अपेक्षित शर्तो की पूर्ति नही करने से आर्म्स अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को जेरअपील आदेश दि0 29.6.2017 से निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की जाना प्रकट नही होता है। किन्तु सहज न्याय के दृष्टिकोण से प्रश्नगत अपील प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि वर्तमान स्थिति मे अपीलार्थी के पिता को जारी 12 बोर बन्दूक के लाईसेन्स को जारी किये हुये लगभग 25 वर्ष

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

से अधिक का समय हो चुका है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है जिससे अपीलार्थी का आपराधिक प्रवृति का होना प्रकट होता हो ऐसी स्थिति मे आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 25 के अनुसार उत्तराधिकार अवधारणा के तहत लाईसेन्स जारी किये जाने हेतु लाईसेन्स 25 वर्ष पुराना होने संबधी अपेक्षित शर्त वर्तमान स्थिति मे पूर्ण हो जाने से प्रश्नगत अपील इसी स्टेज पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2017/4222 दिनांक 29.6.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 25 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे आवेदन पत्र पर पुर्नविचार कर अपीलार्थी के चाल चलन व शस्त्र अनुज्ञापत्र के औचित्य तथा आपराधिक प्रकरणो के संबध मे वर्तमान वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 26.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा